

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 09/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00024

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
सोनाराम पुत्र मनाराम, जाति माली, निवासी वरकाणा, तहसील रानी, जिला पाली		1. घीसीदेवी पत्नी माधुराम, जाति देवासी, निवासी वरकाणा, तहसील रानी, जिला पाली 2. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत वरकाणा, तहसील रानी जिला पाली

“पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994”

उपस्थिति :-

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणलाल कुमावत।
3. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मनोज बैरवा।



—: निर्णय :-

दिनांक : 26/12/2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत वरकाणा द्वारा मिसल संख्या 14/2006-07, संकल्प संख्या 04 दिनांक 12.01.2007 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी कन्यादेवी पत्नी समेलाराम देवासी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 के विरुद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकॉर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने वक्त बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा गोचर एवं रास्ते की भूमि का जारी किया। विकास अधिकारी ने भी तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी समस्त पट्टों को फर्जी बताया है तथा तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में उक्त आराजी को गोचर होना बताया है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरुद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 ने दौराने बहस कथन किया जैर निगरानी पट्टों के सम्बन्ध में शिकायत प्रमाणित नहीं है तथा अप्रार्थीगण का गोचर भूमि पर केवलमात्र अतिक्रमण है, उनका पट्टा गोचर भूमि का नहीं है वह आबादी भूमि का है। यदि तहसीलदार एवं विकास अधिकारी को यह लगता कि जैर निगरानी पट्टे की आराजी गोचर है तो उन्हें निगरानी पेश करनी चाहिये थी, जो नहीं की। प्रार्थी जैर निगरानी पट्टे में हितबद्ध पक्षकार भी नहीं है और न ही प्रार्थी की कोई लोकस स्टेण्डाई है। प्रार्थी ने उक्त निगरानी अप्रार्थी को ब्लैकमेल करने के इरादे से पेश की है। इसलिये बिना आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

(Signature)


अति. जिला कलक्टर, पाली

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में विहित प्रावधानों की पालना करते हुये जारी किया है, जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है, इसलिये जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत वरकाणा द्वारा मिसल संख्या 14/2006-07, संकल्प संख्या 04 दिनांक 12.01.2007 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी घीसीदेवी पत्नी माधुराम देवासी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 14 के विरुद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी हितबद्ध नहीं पक्षकार है, इसलिये जैर निगरानी याचिका में प्रार्थी की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है। इसके सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 में यह स्पष्ट प्रावधान दिया गया है कि राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति निगरानी प्रस्तुत कर सकता है।



पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी रूप में यह जांच नहीं की कि उक्त भूमि गोचर है या आबादी ? इस तथ्य के निर्धारण हेतु ग्राम पंचायत को पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त की जानी थी तथा इसके अतिरिक्त पंचायती राज नियमों के तहत स्वयं को भी जांच करवानी थी, जो नहीं करवाई गई, तथाकथित आबादी का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया। ग्राम पंचायत रियायती दर पर/निःशुल्क भू-खण्ड आवंटन करने से पूर्व प्लान का नक्शा बनाकर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 142(1) में दिये गये प्रावधानों के अनुसार सक्षम अधिकारी से अनुमादेन प्राप्त नहीं किया गया, जिसके अभाव में यह ज्ञात नहीं किया जा सकता है कि आवंटी का पट्टा किस खसरा नम्बर की भूमि में या किस स्थान पर जारी किया गया है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा गोचर एवं रास्ते की भूमि में जारी किया हुआ है। इसकी ताईद में अधिवक्ता प्रार्थी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली की जांच रिपोर्ट, पटवारी हल्का वरकाणा की रिपोर्ट पेश की है। जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 को 1350 वर्गफीट का रियायती दर पर आवंटित किया है। ग्राम पंचायत वरकाणा पट्टा बुक संख्या 50 में से जारी पट्टों के सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली के पत्र दिनांक 05.06.2012 की पालना में गठित कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी। उक्त जांच रिपोर्ट में क्रम संख्या 14 पर अंकितानुसार अप्रार्थी संख्या 01 को 1350 वर्गफीट का जैर निगरानी पट्टा रियायती दर पर जारी किया गया तथा जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर भी ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। साथ ही ग्राम पंचायत ने वार्डपंच व सरपंच के परिवार के सदस्यों के


अति. जिला कलेक्टर, पाली

पक्ष में भी पट्टे जारी किये, जो नियमानुसार नहीं है। इस प्रकार सरपंच व ग्राम सेवक ने पद का दुरुपयोग कर आबादी से बाहर अन्यत्र किस्म की भूमि में पट्टे जारी किये हैं। अतः उक्त समस्त पट्टे निरस्त योग्य हैं। साथ ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, पाली ने पत्र दिनांक 17.04.2013 के द्वारा ग्राम पंचायत वरकाणा में पूर्व सरपंच के कार्यकाल की जांच रिपोर्ट के पैरा नम्बर 1 में 50 पट्टों के लिये सरपंच व ग्रुप सचिव को पद का दुरुपयोग का प्रथम दृष्टया मामला बनने का निष्कर्ष दिया गया। सम्पूर्ण जांच रिपोर्ट के अनुसार पूर्व सरपंच, सम्बन्धित ग्रुप सचिव व अन्य अवैध लाभार्थियों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण बनना पया जाता है! लिहाजा यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने विधिविरुद्ध, अनैतिक तरीके से जैर निगरानी पट्टा आबादी भूमि के अन्यत्र गै.मु.रास्ता एवं गौचर की भूमि पर जारी किया है, जो विधिनुसार नहीं होने से खारिज योग्य है।

इसके अतिरिक्त पटवारी हल्का वरकाणा की ग्राम वरकाणा के खसरा संख्या 225 पर अवैध निर्माण के सम्बन्ध में प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 11.01.2019 के अनुसार "खसरा संख्या 225 गै.मु.रास्ता एवं खसरा संख्या 294 गौचर की भूमि है।" उपरोक्त दोनों खसरे आबादी भूमि के पास में स्थित होने से ग्राम पंचायत ने आबादी के साथ साथ उपरोक्त दोनों खसरों में भी पट्टे जारी किये हैं एवं तहसीलदार रानी ने पत्र दिनांक 18.01.2019 के द्वारा ग्राम पंचायत वरकाणा द्वारा बुक नम्बर 50 से जारी पट्टे, जो की ग्राम की गौचर भूमि पर दिये गये हैं अंकित किया है। ग्राम वरकाणा पटवार हल्का वरकाणा तहसील रानी की जमाबन्दी के अनुसार खसरा संख्या 294 किस्म गै.मु.गौचर एवं खसरा संख्या 225 किस्म गै. मु.रास्ता की भूमि है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है परन्तु हस्तगत प्रकरण में ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर आबादी भूमि से अन्यत्र भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरुद्ध होने से यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 161 - विक्रय की शक्ति से आबादी भूमि के कतिपय प्रवर्गों का अपवर्जन के उपनियम 3 के तहत "पंचायत सर्किल के भीतर चारागाह भूमियों का और आबादी के विस्तार के लिए अकृष्य बंजर भूमियों का आवंटन, राजस्थान भ-राजस्व अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों से शासित होगा।" साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत भी गैर मुमकिन गौचर किस्म की भूमि, अन्य प्रयोजनार्थ हेतु प्रतिबंधित है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत जारी किया गया है। जहां तक ग्राम पंचायत को पट्टे जारी करने की अधिकारिता का प्रश्न है, तो यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत आबादी भूमि में ही पट्टे जारी करने की अधिकारिता रखती है, आबादी के अतिरिक्त अन्य भूमि पर ग्राम पंचायत पट्टे जारी किये जाने हेतु अधिकृत नहीं है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, उसमें राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में विहित प्रावधानों की पूर्ण पालना का अभाव पाया गया है। जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित रेकॉर्ड यथा मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर भी अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध नहीं होना, हस्तगत पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिह्न



अंकित करता है। जैर निगरानी पट्टा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा किसी भी रूप में इस तथ्य का परीक्षण नहीं किया गया कि अप्रार्थी सन्दर्भित नियम के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्रता रखता है या नहीं ? जबकि पत्रावली पर उपलब्ध जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार, रानी के पत्र अनुसार जैर निगरानी पट्टा प्रतिबंधित भूमि में जारी किया गया है, जो विधिविरुद्ध है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त 1984 RLW 528 (a) अनुसार - The collector may be justified in holding that the land which forms part of the public way cannot be sold by the Gram panchayat because those lands which form part of the public streets and pathways are vested in the Gram panchayat only as a trustee thereof and the gram panchayat has no right to dispose of the same by way of sale or otherwise. इसके अतिरिक्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1999 3 RLW(Raj) 1478 Narayan Lal Versus State & Ors. अनुसार - Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994, Sec. 97 and Panchayat General Rules, 1961 - Revision by Collector of the order passed by Panchayat - Cancellation of patta granted by Panchayat - "Can Panchayat sell public land? - The land which is neither Abadi land nor it belong to panchayat - Panchayat has no right or authority to sell the public land to any one. इसी प्रकार 2023/RJJD/010979 टीकुराम गुर्जर बनाम सरकार व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "ग्राम पंचायत को गोचर भूमि में पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं है।" जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज. नियम, 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की किसी भी रूप में पालना नहीं की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 को नियम विरुद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं है।



परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत वरकाणा द्वारा मिसल संख्या 14/2006-07, संकल्प संख्या 04 दिनांक 12.01.2007 एवं उसकी पालना में जारी पट्टा संख्या 14 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 26/12/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली